सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2016-17

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

बिहार सरकार

लेखे एक दृष्टि में

वर्ष 2016-17 के लिए

बिहार सरकार

प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के 'लेखे एक दृष्टि में', को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 अधिकृत करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के खातों के संबंध में संसद द्वारा बनाये गये ऐसे किसी कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्ति का प्रयोग करेंगें । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तिया¡ और सेवा की शर्तें) 1971 का अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है कि सीएजी लेखे के संधारण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों से लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए राज्य के लेखा संकलन के लिए जिम्मेदार हैं ।

राज्य के वार्षिक लेखे, सौपी गयी दायित्व के निवर्हन में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे तैयार किए गए हैं । वित्त लेखे तीन भागों में संकलित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है । विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदानवार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है ।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है । हितधारको-विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखाचित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है । वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी ।

हमें आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होगी ।

सी. कुमार

सी० सुरेश कुमार
महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
बिहार, पटना

स्थान : पटना
दिनांक : 19 मार्च 2018

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

दृष्टिकोण :

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है ।

उद्देश्य :

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते है और हमारे हितधारकों–विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हमारे बुनियादी मूल्य :

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक कुशलता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

अध्याय-I	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	9
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	10
1.5	लेखे की विशेषताएँ	13
1.6	घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं	14
अध्याय-II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	परिचय	16
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	16
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	18
2.4	राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता	20
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	20
2.6	विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	21
2.7	सहायता अनुदान	21
2.8	लोक ऋण	22
अध्याय-III	**व्यय**	
3.1	परिचय	23
3.2	राजस्व व्यय	23
3.3	पूँजीगत व्यय	24
अध्याय-IV	**आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय**	
4.1	व्यय का संवितरण (2016-17)	26
4.2	आयोजना व्यय	26
4.3	आयोजना भिन्न व्यय	27
4.4	वचनबद्ध व्यय	28
अध्याय-V	**विनियोग लेखे**	
5.1	वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे का सार	29
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	29
5.3	विशिष्ट बचतें	30

अध्याय-VI	**परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ**	
6.1	परिसंपत्तियाँ	33
6.2	ऋण तथा देयताएँ	33
6.3	गारंटियाँ	34
अध्याय-VII	**अन्य विषयें**	
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	35
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	35
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	35
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	36
7.5	लेखे का मिलान	36
7.6	कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	37
7.7	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	38
7.8	व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाता	38
7.9	व्यय का आधिक्य	39
7.10	उचन्त लेखा शेष	41

अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय

बिहार सरकार के प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे का संकलन, जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य प्रमंडलों, वन प्रमंडलों द्वारा प्रतिवेदित मासिक लेखे के रूप में प्राप्त प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है । वर्ष के संकलन कार्य वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार होने पर समाप्त होते हैं । ये महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन रहते हैं जिसके पश्चात ये विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित किए जाते हैं ।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग-1 **समेकित निधि**	राजस्व और पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ तथा व्यय, लोक-ऋण के लेन-देन से संबंधित आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम तथा उनके पुनर्भुगतान का अभिलेख और सारांश ।

भाग-2 **आकस्मिक निधि**	राज्यपाल द्वारा अप्रत्याशित परिस्थितियों में किए गए व्यय, जो बजट में प्रावधानित न हो तथा समेकित निधि से इसकी प्रतिपूर्ति को दर्शाता है ।

भाग-3 **लोक लेखा**	सार्वजनिक ऋण और जमा जिनका पुनर्भुगतान या तो माँग पर अथवा एक निश्चित समय सीमा के पश्चात किया जाता है । सार्वजनिक प्रेषण और लेनदेन के लिए अग्रिम जो अस्थाई प्रकृति के हैं तथा लेनदेन के अंतिम सूचना की कमी के कारण अंतिम रूप से दर्ज किए जाने की प्रतिक्षा में हैं ।

1.2.2 लेखे का संकलन

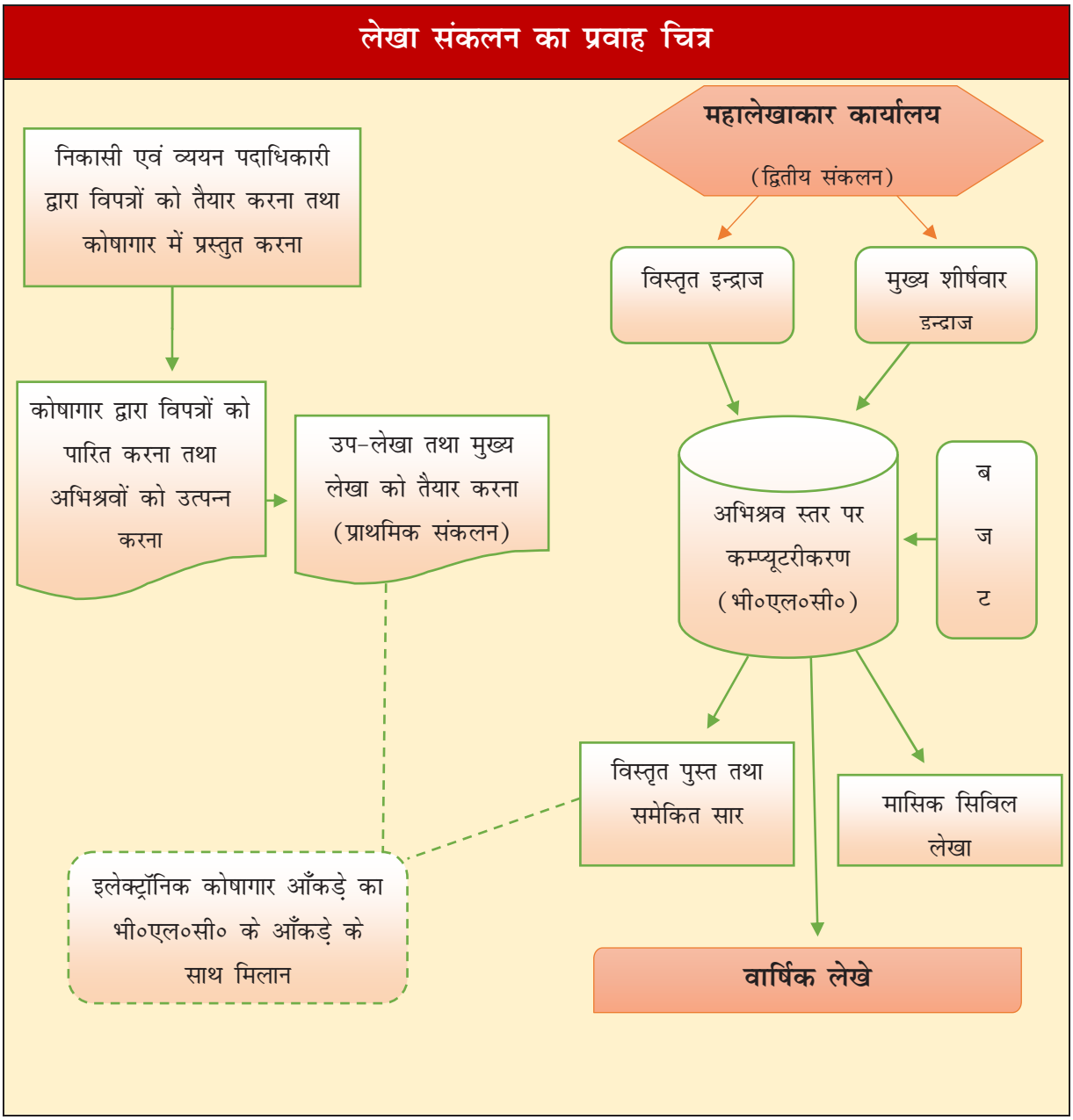
लेखा संकलन का प्रवाह चित्र
महालेखाकार कार्यालय
(द्वितीय संकलन)
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्रों को तैयार करना तथा कोषागार में प्रस्तुत करना
विस्तृत इन्द्राज
मुख्य शीर्षवार इन्द्राज
कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित करना तथा अभिश्रवों को उत्पन्न करना
उप-लेखा तथा मुख्य लेखा को तैयार करना (प्राथमिक संकलन)
अभिश्रव स्तर पर कम्प्यूटरीकरण (भी०एल०सी०)
ब ज ट
विस्तृत पुस्त तथा समेकित सार
मासिक सिविल लेखा
इलेक्ट्रॉनिक कोषागार आँकड़े का भी०एल०सी० के आँकड़े के साथ मिलान
वार्षिक लेखे

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार के नगद लेखे हैं जो नगद के आरंभिक शेष से आरम्भ कर, राज्य की विभिन्न स्रोतों जैसे कर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से करों में हिस्सा का अंतरण, सहायता अनुदान इत्यादि से प्राप्तियों तथा नगद की अदायगी को दर्शाता है । यह लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम से संबंधित प्राप्तियों तथा नगद भुगतान को भी एक साथ दर्शाता है । यह वर्ष के अन्त में नगद के शेष के साथ समाप्त होता है । वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनापरक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं । खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है ।

बिहार सरकार की प्राप्तियाँ तथा व्ययों को जैसा कि वित्त लेखे 2016-17 में दर्शाया गया है, जो निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ (कुल : 1,22,087)	**राजस्व (कुल : 1,05,585)**	राज्य का स्व-कर राजस्व	23,742
		संघीय करों में राज्य का हिस्सा	58,881
		करेत्तर राजस्व	2,403
		सहायक अनुदान एवं अंशदान	20,559
	पूँजीगत (कुल : 16,502)	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	23
		उधार एवं अन्य दायित्व *	16,479
व्यय (कुल : 1,22,087)	राजस्व		94,765
	पूँजीगत		27,208
	ऋण तथा अग्रिम		114

* उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल ।

राज्य द्वारा राजस्व तथा पूँजी से प्राप्तियों के अलावा, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार राज्य कार्यकारी अभिकरणों / गैर सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर विशेष निधि उपलब्ध कराती है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा ₹ 3,071करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 793 करोड़) सीधे विमुक्त किया गया। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती है, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे

में परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है ।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के तहत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है । संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है । बिहार सरकार के बजट में 51 अनुदान/विनियोग है । विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है ।

विनियोग अधिनियम, 2016-17 द्वारा ₹ 1,69,352 करोड़ का सकल व्यय और ₹ 0.01 लाख का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था । इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,27,998 करोड़ और व्यय में कमी ₹ 1,696 करोड़ हुआ । परिणामतः शुद्ध निवल बचत ₹ 41,354 करोड़ (24.42 प्रतिशत) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹ 1,696 करोड़ का कम आकलन किया गया । सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹ 1,809 करोड़ सम्मिलित है जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹ 1,370 करोड़ से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र अप्राप्त रहने के कारण अभी तक लंबित है ।

1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है । जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है । ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है । वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया ।

1.4.2 निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व अधिक्य ₹ 10,820 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 16,479 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 2.47 प्रतिशत और 3.76 प्रतिशत को इंगित करता है । राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 13.50 प्रतिशत है । इस घाटे को लोक ऋण (₹ 17,362 करोड़) में वृद्धि, लोक लेखे [₹ (-)893करोड़] में कमी और आदि तथा अंत शेष के निवल [₹ (-)9.66 करोड़] से पूरित किया गया । ₹ 36,483 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹ 1,05,585 करोड़) का लगभग 35 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹ 15,784 करोड़), ब्याज संदाय (₹ 8,191 करोड़) तथा पेंशन (₹ 12,508 करोड़) पर खर्च किया गया।

निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्रोत	1 अप्रैल 2015 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष	125
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,585
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	23
	लोक ऋण	21,577
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	1,263
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	1,075
	जमा प्राप्तियाँ	48,930
	सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान	266
	उचंत लेखा	3,93,301
	प्रेषण	9,536
	आकस्मिकता निधि	0
	जोड़	**5,81,681**

अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	94,765
	पूँजीगत व्यय	27,208
	प्रदत्त ऋण	114
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,215
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	1,164
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	1,787
	जमा राशि से किए गए व्यय	43,536
	प्रदत्त सिविल पेशगियाँ	266
	उचंत लेखा	3,98,968
	प्रेषण	9,543
	31 मार्च 2016 को रिजर्व बैंक रोकड़ अंतशेष	115
	जोड़	**5,81,681**

1.4.3 रुपया जहाँ से आया

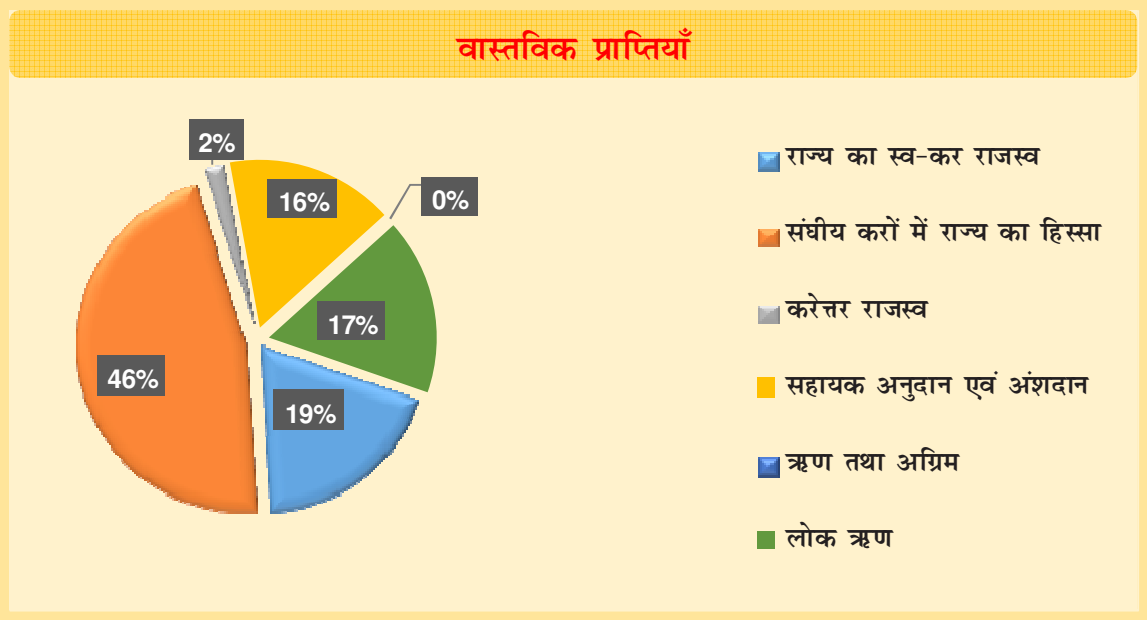

1.4.4 रुपया जहाँ गया

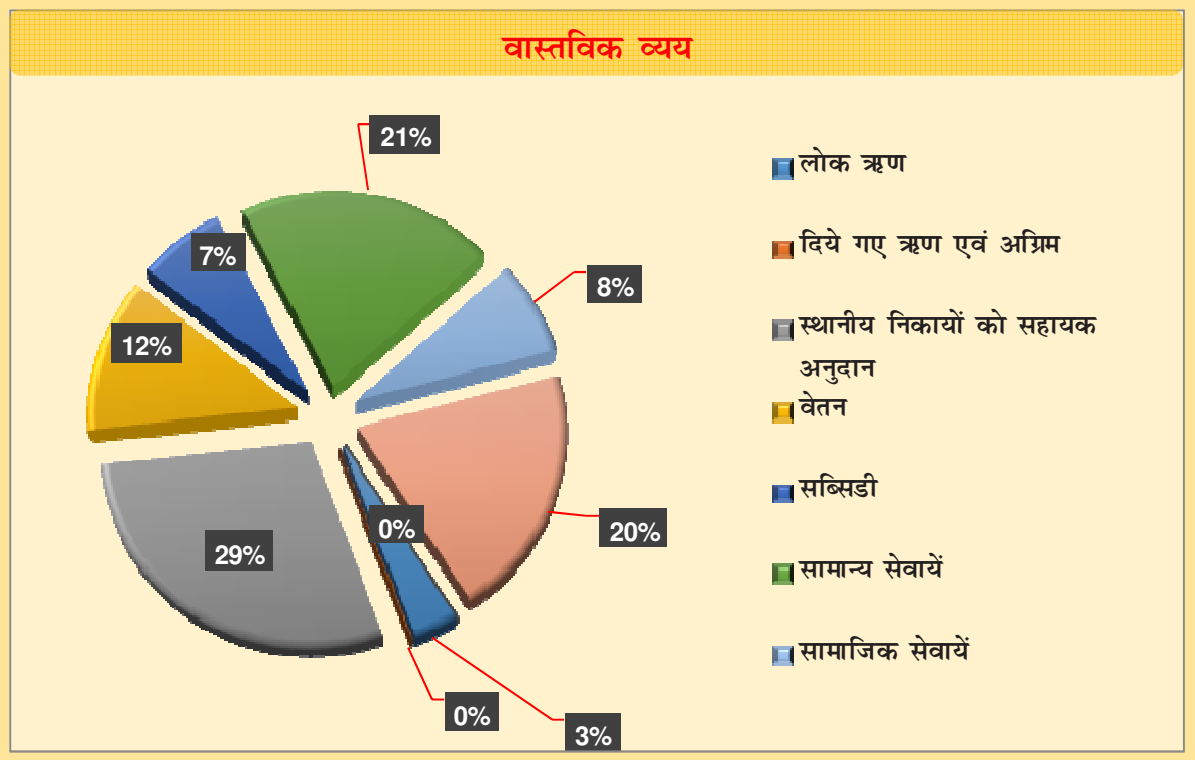

* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल हैं ।

1.5 लेखे की विशेषताएँ

	बजट अनुमान 2015-16	वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता ($)
	(₹ करोड़ में)			
1. राज्य का स्व-कर राजस्व	29,730	23,742	80	5
2. संघीय करों में राज्य का हिस्सा	58,360	58,881	101	13
3. करेतर राजस्व	2,358	2,403	102	0
4. सहायता अनुदान तथा अंशदान	34,142	20,559	60	6
5. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,24,590	1,05,585	85	24
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	17	23	135	0
8. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	16,014	16,479	103	4
9. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	16,031	16,502	103	4
10. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,40,621	1,22,087	87	28
11. गैर-योजना व्यय (*)	68,203	61,247	90	14
12. राजस्व लेखा पर गैर-योजना व्यय	67,981	61,189	90	14
13. 12 के व्यय में से ब्याज अदायगी पर गैर-योजना व्यय	8,179	8,191	100	2
14. पूँजीगत लेखा पर गैर-योजना व्यय	222	58	163	0
15. योजना व्यय (*)	72,419	60,840	84	14
16. राजस्व लेखा पर योजना व्यय	41,960	33,576	80	8
17. पूँजीगत लेखा पर योजना व्यय	30,459	27,264	90	6
18. कुल व्यय (11+15)	1,40,622	1,22,087	87	28
19. राजस्व व्यय (12+16)	1,09,941	94,765	86	22
20. पूँजीगत व्यय (14+17) (#)	30,681	27,322	89	6
21. राजस्व आधिक्य (5-19)(@)	14,649	10,820	74	2
22. राजकोषीय घाटा (5+6+7-18)(@)	16,015	16,479	103	4

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹ 4,38,030 करोड़ बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना से लिया गया है ।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹ 27,208 करोड़), संवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹ 114 करोड़) सम्मिलित है ।

(*) गैर-योजना के अंतर्गत ₹ 42 करोड़ तथा योजना के अंतर्गत ₹ 72 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है ।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल ।

(@) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे की गणना में उदय अंतर्गत व्यय शामिल है ।

1.6 घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते है ?

घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है । घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं ।

राजस्व घाटा / आधिक्य	राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है । राज्य सरकार के वर्त्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांतत: इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए ।

राजकोषीय घाटा / आधिक्य	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है । इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांतत: उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए ।

1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)

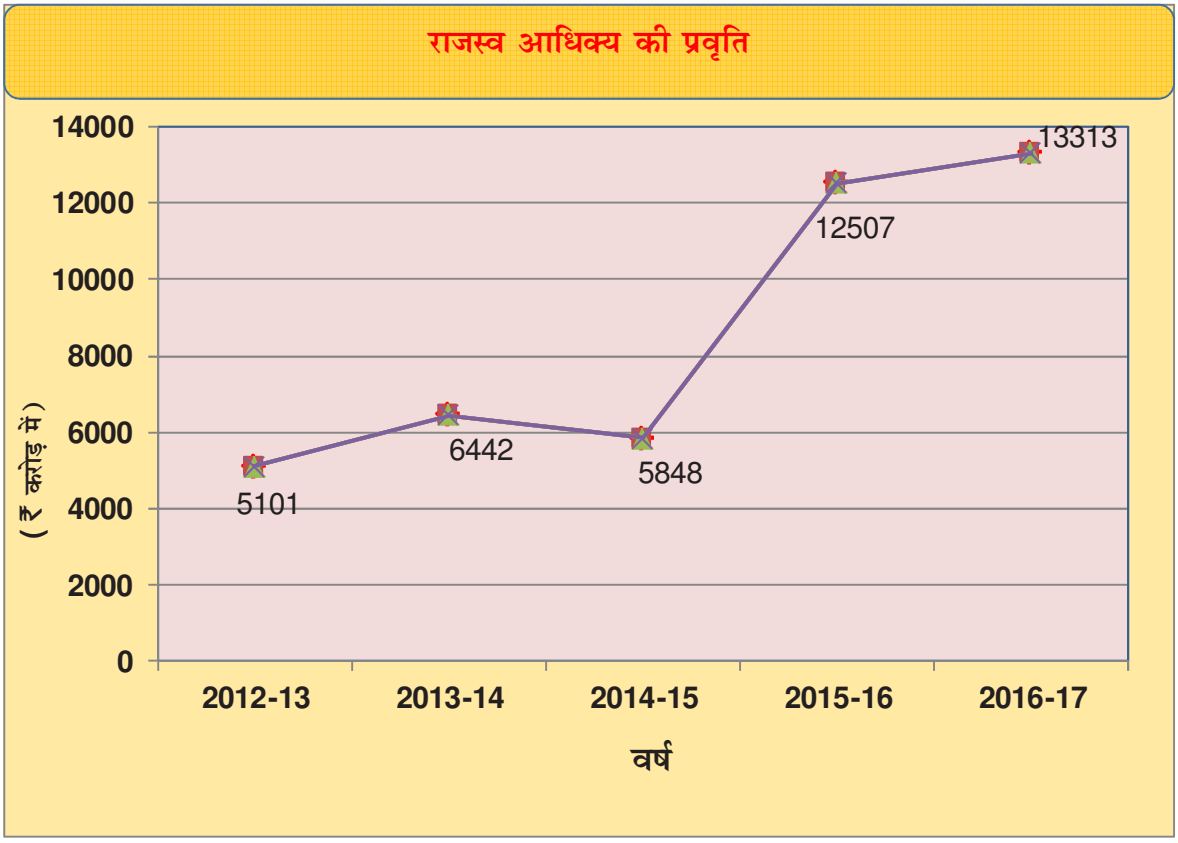

1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)

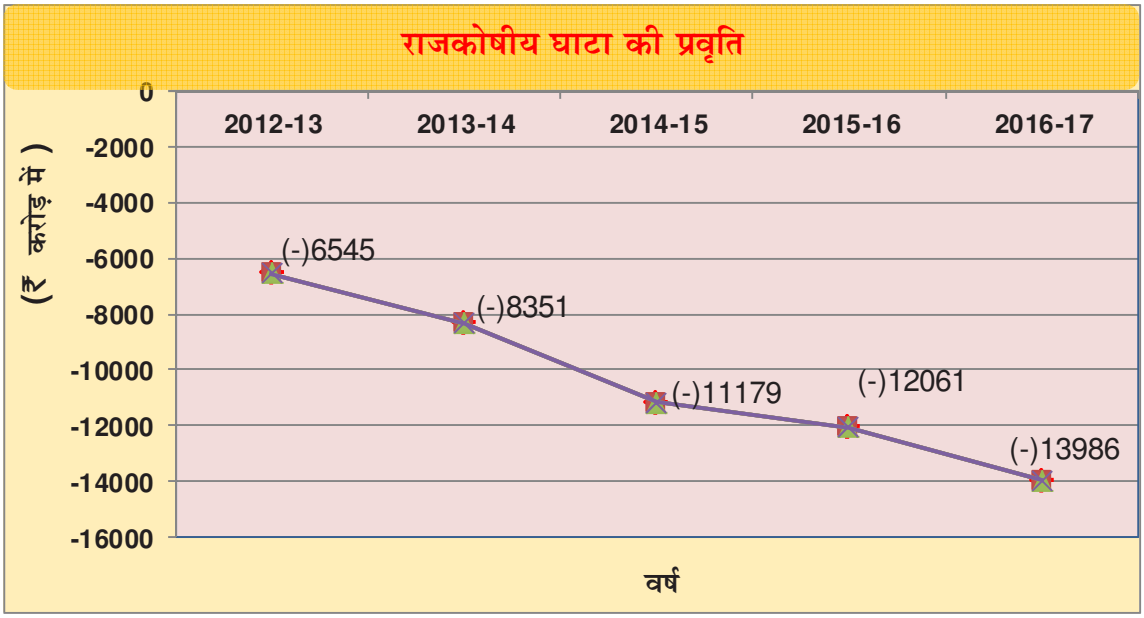

1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात

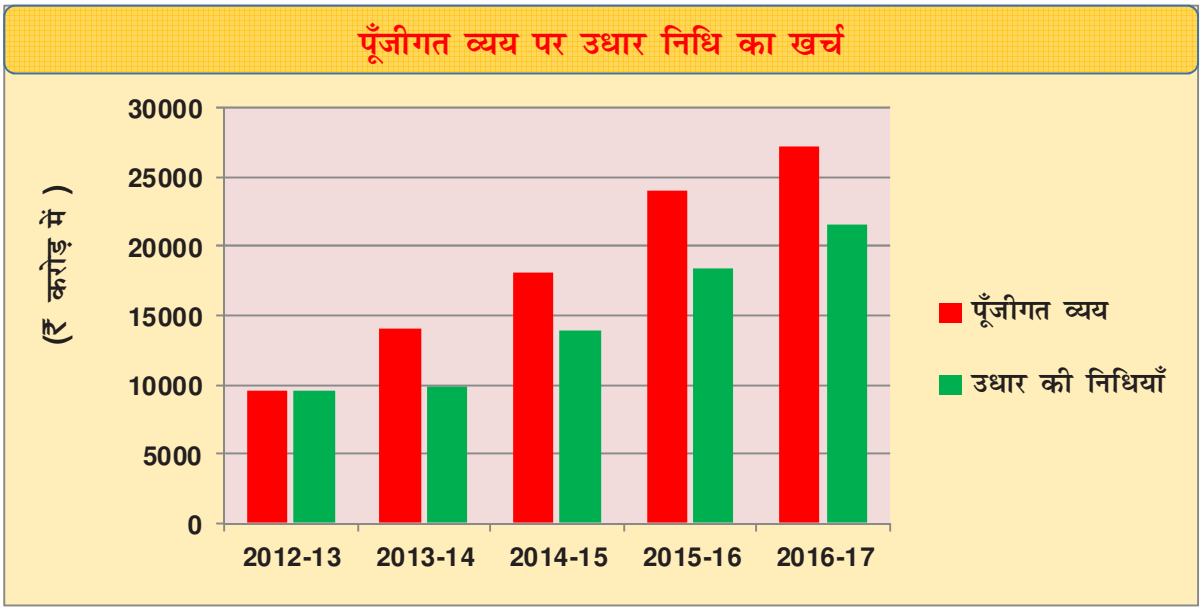

यह वांछनीय है कि पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से पूर्णत: वित्त पोषित हो तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹ 27,208 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹ 21,577 करोड़) और राजस्व आधिक्य (₹ 10,820 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है ।

अध्याय II

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । वर्ष 2016-17 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,22,087 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित है ।
सहायक अनुदान	मूलतः, संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त । संघ सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता एवं सहायता, सामग्री तथा उपस्कर सम्मिलित हैं । इसी प्रकार राज्य सरकारें कुछ संस्थाओं को जैसे-पंचायती राज संस्थाएँ, स्वायत्तशासी निकायों इत्यादि को सहायक अनुदान प्रदान करती है ।

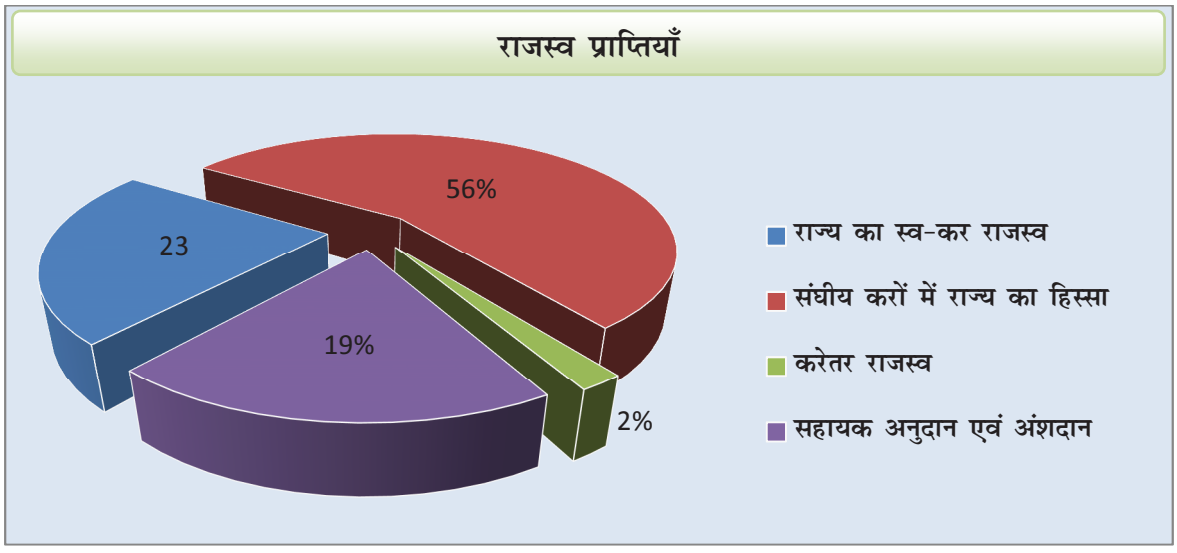

राजस्व प्राप्ति के घटक (2016-17)

(₹ करोड़ में)

घटक		वास्तविकी
क.	**कर राजस्व**	**82,623**
	राज्य का स्व-कर राजस्व	**23,742**
	आय तथा व्यय पर कर	79
	सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	3,953
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	19,710
	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	**58,881**
	आय तथा व्यय पर कर	32,018
	सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	43
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	26,820
ख.	**करेतर राजस्व**	**2403**
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	944
	सामान्य सेवायें	199
	सामाजिक सेवायें	75
	आर्थिक सेवायें	1,185
ग.	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**	**20,559**
	कुल - राजस्व प्राप्तियाँ	**1,05,585**

2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर राजस्व	48,154 (17)	54,790 (17)	57,713 (17)	74,372 (19)	82,623 (19)
करेत्तर राजस्व	1,135 (0.40)	1,545 (0.49)	1,558 (0.45)	2,186 (0.57)	2,403 (0.55)
सहायता अनुदान	10,278 (4)	12,584 (4)	19,146 (6)	19,565 (5)	20,559 (5)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	59,567 (21)	68,919 (22)	78,417 (23)	96,123 (25)	1,05,585 (24)
स०रा०घ०उ०	2,82,368	3,17,101	3,42,951	3,81,501	4,38,030

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

यद्यपि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में कर राजस्व में 11 प्रतिशत तथा करेतर राजस्व में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई । करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: निम्न के अंतर्गत अधिक संगहण के कारण हुई :

- 'अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग' (₹ 998 करोड़),
- 'ब्याज प्राप्तियाँ' (₹ 939 करोड़),
- 'अन्य प्रशासनिक सेवायें' (₹ 100 करोड़) तथा
- 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम' (₹ 36 करोड़) ।

इसके अलावा वर्ष 2016-17 में 'पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियाँ' तथा शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति के तहत संग्रहण क्रमश: ₹ 15 करोड़ तथा ₹ 17 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2015-16 में इनके विरूद्ध संग्रहण क्रमश: ₹ 177 करोड़ तथा ₹ 41 करोड़ था । राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत कुछ कर घटकों, जैसे-'बिक्री, व्यापार पर व्यय' (₹ 11,874 करोड़), 'माल तथा यात्री कर' (₹ 6,246 करोड़) और 'वाहन कर' (₹ 1,257 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया ।

राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत घटकों का स०रा०घ०उ० से अनुपात

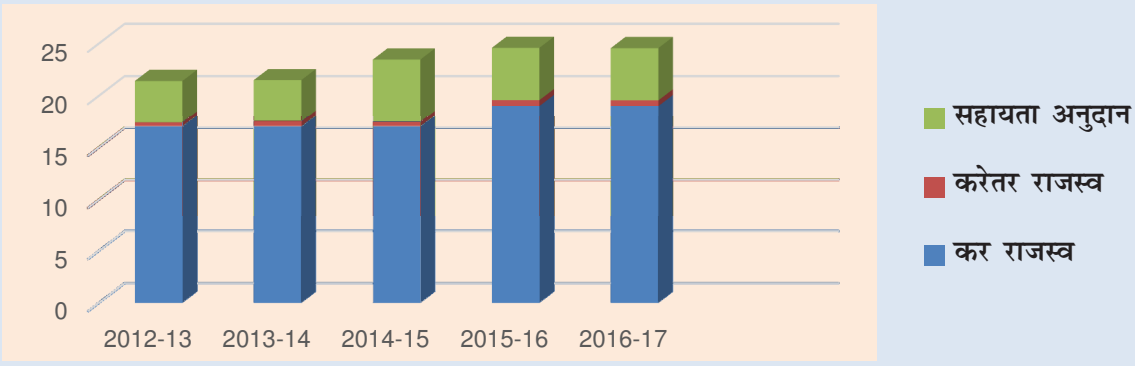

खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आय तथा व्यय पर कर	18,356	19,474	22,180	26,085	32,097
संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	2,398	2,946	3,011	4,108	3,996
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	27,400	32,370	32,522	44,179	46,530
कुल- कर राजस्व	**48,154**	**54,790**	**57,713**	**74,372**	**82,623**

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: 'निगम कर' (₹ 18,889 करोड़), 'आय पर निगम कर से भिन्न कर' (₹ 13,128 करोड़), 'बिक्री व्यापार आदि पर कर' (₹ 11,874 करोड़), 'सेवा कर' (₹ 9,416 करोड़), 'संघ उत्पाद शुल्क' (₹ 9,279 करोड़), 'सीमा शुल्क' (₹ 8,125 करोड़) तथा 'माल तथा यात्री कर' (₹ 6,246 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है ।

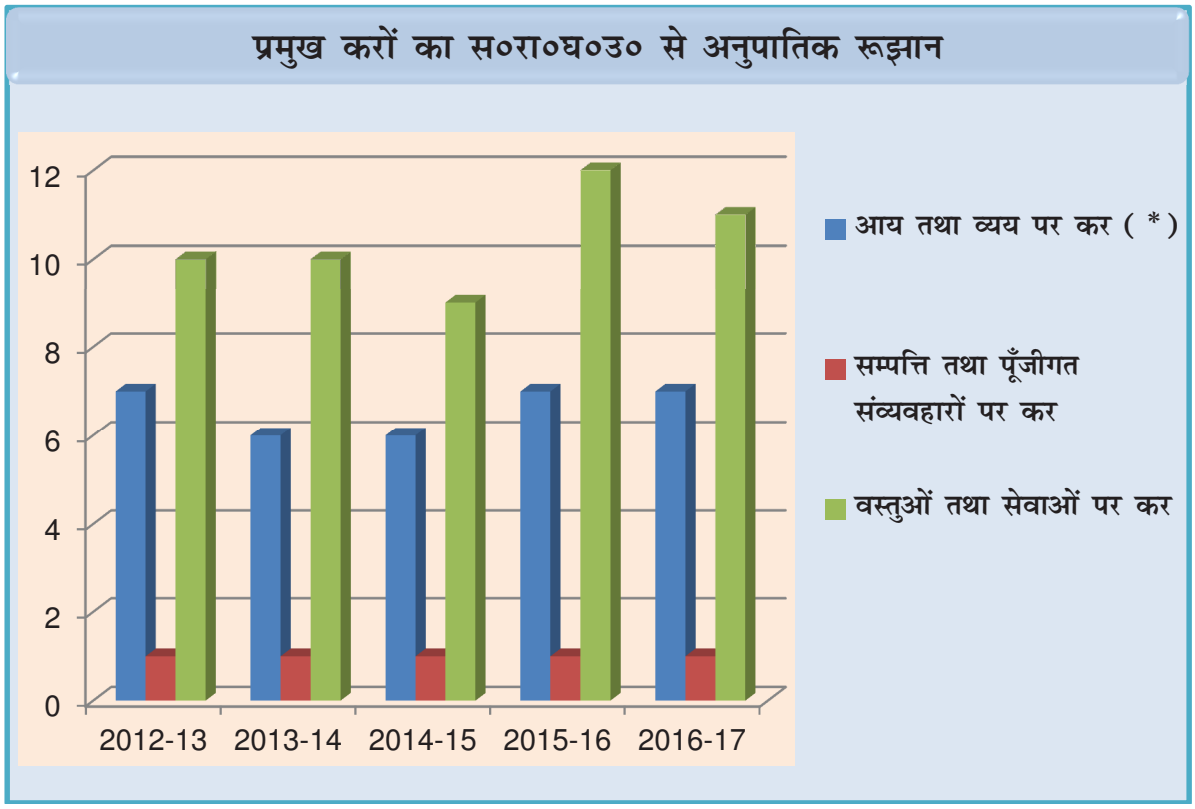

(*) राज्य को मुख्य रूप से केन्द्रांश के निवल आगमों का हिस्सा

2.4 राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश	राज्य का स्व-कर राजस्व	
			राशि	स०रा०घ०उ० की प्रतिशतता
2012 - 13	48,154	31,901	16,253	5.76%
2013 - 14	54,790	34,829	19,961	6.29%
2014 - 15	57,713	36,963	20,750	6.05%
2015 - 16	74,372	48,923	25,449	6.67%
2016 - 17	82,623	55,881	23,742	5.42%

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्व-कर राजस्व का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित लक्ष्य 6.40 प्रतिशत से कम है ।

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व संग्रहण	2,398	2,946	3,011	4,108	3,996
संग्रहण पर व्यय	440	526	511	486	477
कर संग्रहण की दक्षता	18%	18%	17%	12%	12%

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17
राजस्व संग्रहण	27,400	32,370	32,522	44,179	46,530
संग्रहण पर व्यय	147	146	185	180	256
कर संग्रहण की दक्षता	1%	0.45%	0.57%	0.41%	0.55%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है । वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है । हॉलांकि, संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर के संग्रहण दक्षता में सुधार किया जा सकता है ।

2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निगम कर	11,459	11,713	12,908	15,378	18,889
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,860	7,713	9,217	10,643	13,128
संपत्ति कर	20	32	35	4	43
सीमा शुल्क	5,301	5,683	5,978	7,850	8,126
संघ उत्पाद शुल्क	3,603	4,014	3,376	6,577	9,279
सेवा कर	4,658	5,674	5,449	8,430	9,416
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	--	--	--	--	--
संघीय करों का राज्यांश	**31,901**	**34,829**	**36,963**	**48,923**	**58,881**
कुल राजस्व कर	**48,154**	**54,790**	**57,713**	**74,372**	**82,623**
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	**66**	**64**	**64**	**66**	**71**

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य आयोजना, केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आयोजना भिन्न अनुदान शामिल हैं । वर्ष 2016-17 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹ 20,559 करोड़ थी, जो निम्नवत है :-

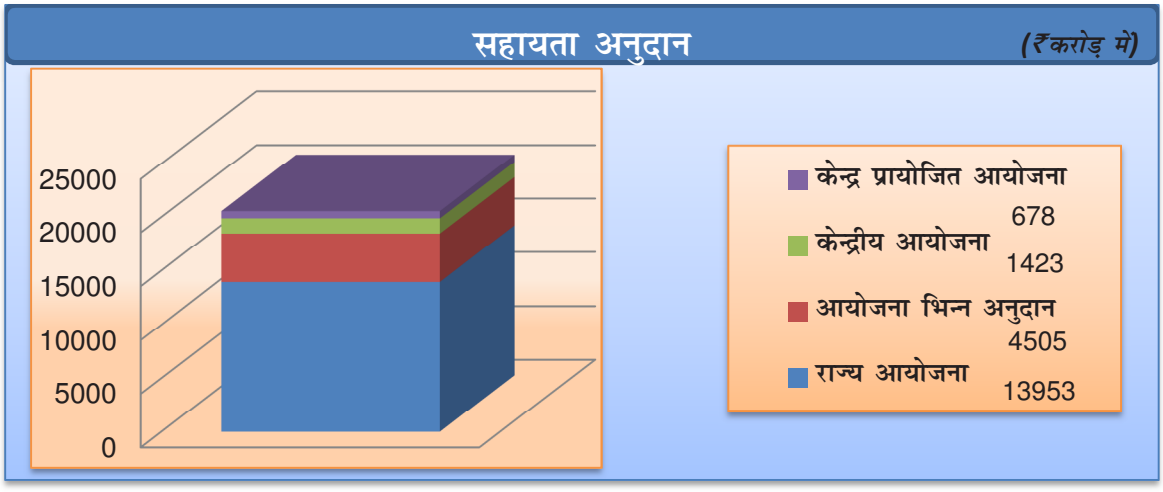

कुल सहायता अनुदान में आयोजना भिन्न अनुदान का अंशदान वर्ष 2015-16 के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 22 प्रतिशत हो गया, जबकि आयोजना के योजनाओं के लिए अनुदान का अंशदान वर्ष 2015-16 के 82 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 78 प्रतिशत हो गया । आयोजना के योजनाओं में केन्द्रीय अंशदान के बजट अनुमान (₹ 29,626 करोड़) के विरूद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹ 16,054 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 54 प्रतिशत) ।

2.8 लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आंतरिक ऋण	6,461	6,799	10,224	14,142	16,604
केन्द्रीय कर्ज	23	(-)11	85	116	758
कुल लोक ऋण	6,484	6,788	10,309	14,258	17,362

नोट - ऋणात्मक आँकड़े प्राप्तियों से अधिक भुगतान किए जाने को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2016-17 में, कुल ₹ 17,700 करोड़ के सात ऋण जो वर्ष 2026-27 में विमुक्त योग्य होंगे, को ब्याज दर 6.89 प्रतिशत से 7.85 प्रतिशत के बीच के सममूल्य पर लिए गये ।

2016-17 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹ 20,065 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹ 1,512 करोड़ के जोड़ के विरूद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹ 27,208 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया ।

अध्याय III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । राजस्व व्यय का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के वर्तमान उपभोग तथा विभागीय गैर-पूंजीगत गतिविधियों के स्थापना व्यय से है । पूँजीगत व्यय भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की नई परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा वर्त्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लक्ष्य से किया गया व्यय है । इसमें निवेश भी शामिल होता है जिससे वर्ष के बाद निवेश पर लाभ प्राप्त होता है ।

सामान्य सेवायें	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं ।

सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं ।

आर्थिक सेवायें	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं ।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का 22 प्रतिशत था । वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व व्यय ₹ 94,765 करोड़ हुआ जो बजट अनुमान से ₹ 15,176 करोड़ कम था । इसका कारण आयोजना व्यय के अन्तर्गत ₹ 8,384 करोड़ तथा गैर-योजना व्यय के अंतर्गत ₹ 6,792 करोड़ का कम खर्च होना था । इस कमी को बजट अनुमान की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 19,005 करोड़ (24 प्रतिशत) की कमी और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन (एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य के राजस्व आधिक्य को कायम रखने की आवश्यकता के आलोक में देखा गया है ।

विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अंतर्गत बजट अनुमानों के विरूद्ध व्यय में कमी निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट अनुमान	60,959	73,258	91,765	91,209	1,09,941
वास्तविकी व्यय	54,466	62,477	72,570	83,616	94,765
अन्तर	6,493	10,781	19,195	7,593	15,176
बजट अनुमान से अंतर का प्रतिशत	11	15	21	8	16

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2016-17)

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
क. सामान्य सेवायें	30,607	32
ख. सामाजिक सेवायें	40,737	43
ग. आर्थिक सेवायें	23,417	25
घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान	4	--
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**94,765**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2016-17)

(₹ करोड़ में)

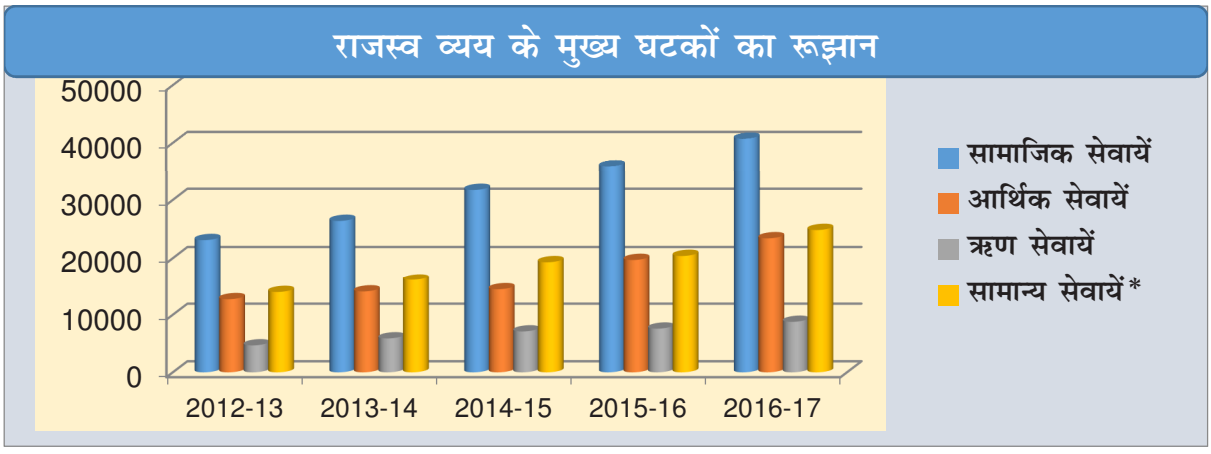

3.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2016-17 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹ 27,322 करोड़ हुआ जो स०रा०घ०उ० का 6 प्रतिशत था । यह बजट अनुमान से ₹ 3,359 करोड़ कम था (आयोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 3,195 करोड़ का कम संवितरण तथा आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत ₹ 195 करोड़ का अधिक संवितरण होने के कारण)।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 896 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹ 728 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 44 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 124 करोड़), बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर ₹ 900 करोड़ और ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹ 5,739 करोड़ व्यय किया गया । उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹ 5,976 करोड़ निवेश किया गया ।

क्रम सं०	क्षेत्र	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1.	**सामान्य सेवायें**-पुलिस, भू-राजस्व आदि ।	2,090	8
2.	**सामाजिक सेवायें**-शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि ।	3,592	13
3.	**आर्थिक सेवायें** - कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि ।	21,526	79
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	114	0
	कुल	**27,322**	**100**

* सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष-2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष-2049 (ब्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष-3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	सामान्य सेवायें	717	1,332	1,749	3,617	2,090
2.	सामाजिक सेवायें	1,331	1,858	1,673	2,740	3,592
3.	आर्थिक सेवायें	7,537	10,811	14,728	17,609	21,526
4.	ऋण तथा अग्रिम	2,086	807	369	621	114
कुल		**10,759**	**10,759**	**11,671**	**14,808**	**18,519**

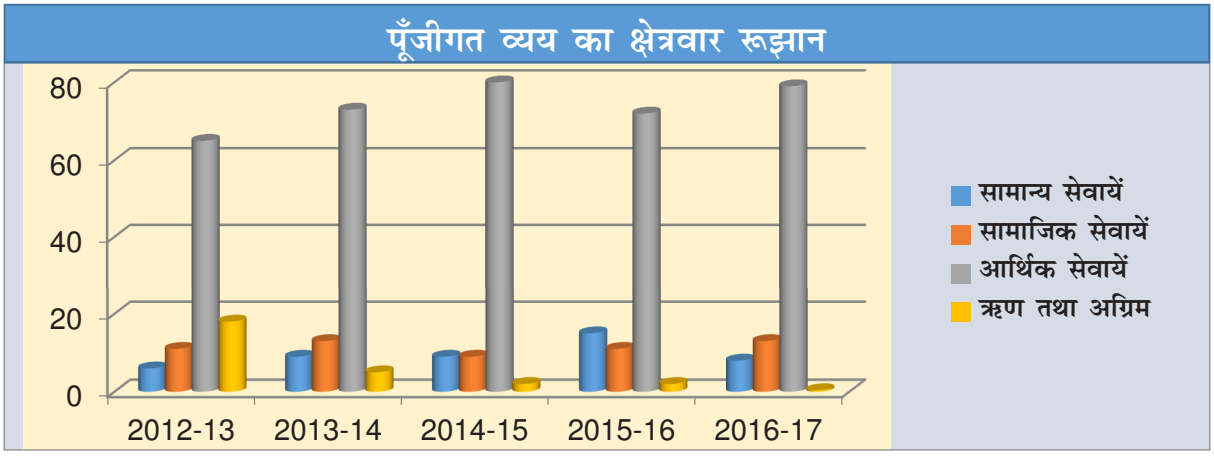

अध्याय IV

आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

4.1 व्यय का संवितरण (2016-17)

	वास्तविक व्यय
आयोजना व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	60,840
आयोजना भिन्न व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	61,247

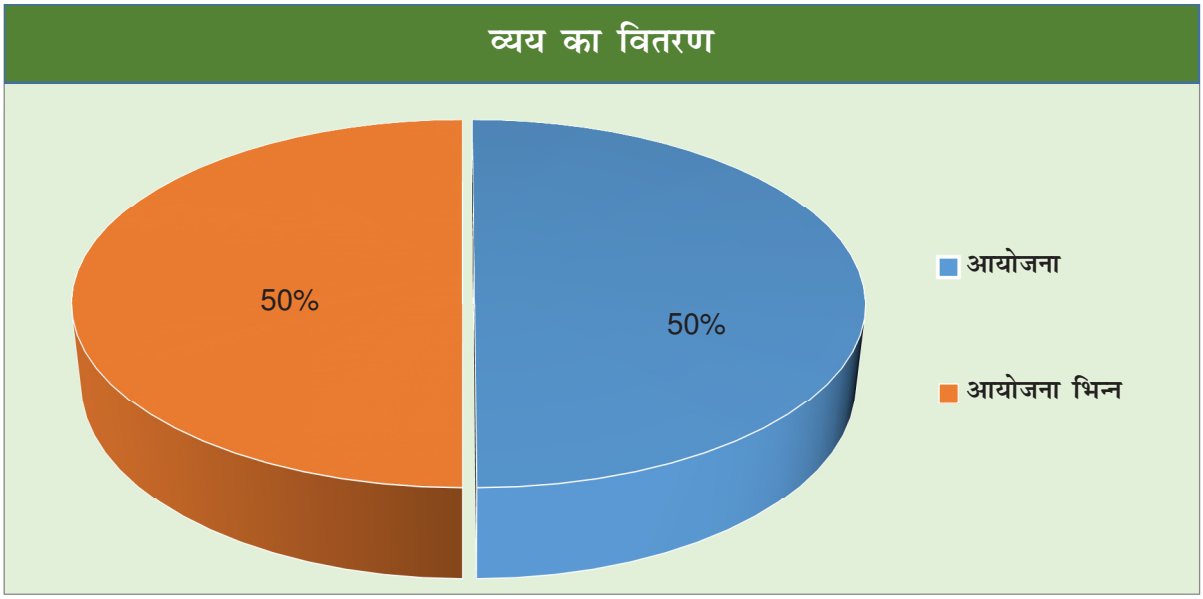

4.2 आयोजना व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजना व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹ 60,840 करोड़ हुआ जो कुल व्यय ₹ 1,22,087 करोड़ का 50 प्रतिशत था । इसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 60,649 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ₹ 119 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 72 करोड़ सम्मिलित हैं ।

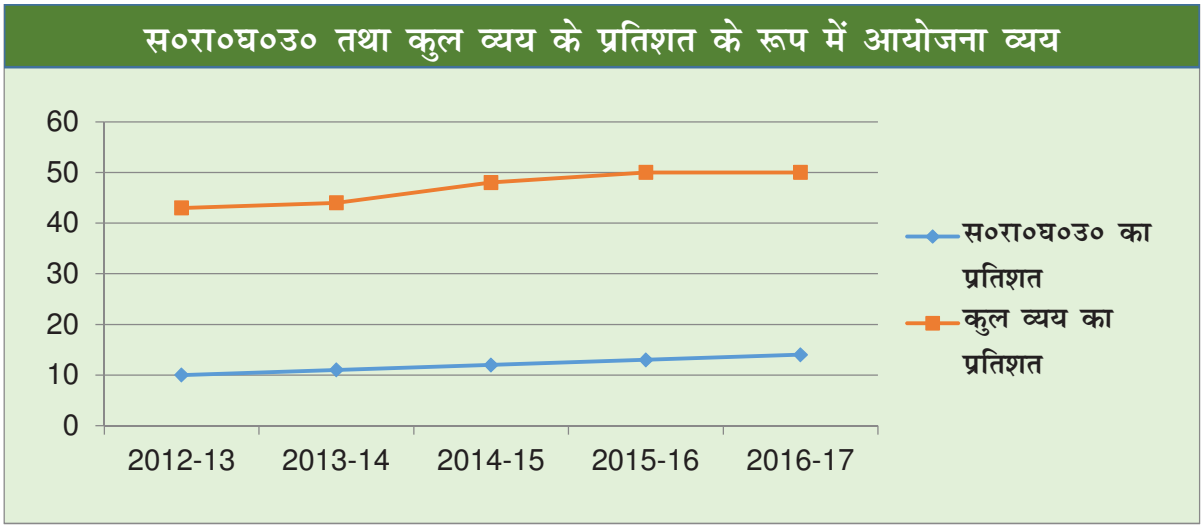

4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत आयोजना व्यय

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल पूँजीगत व्यय	11,671	14,808	18,519	24,587	27322
पूँजीगत व्यय (आयोजना)	11,489	14,602	18,428	24,082	27264
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	98	99	99	98	99

4.3 आयोजना भिन्न व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजना भिन्न व्यय, कुल व्यय ₹ 1,22,087 करोड़ का 50 प्रतिशत था । इसमें राजस्व के अंतर्गत ₹ 61,189 करोड़, पूँजी के अंतर्गत ₹ 816 करोड़ तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 72 करोड़ सम्मिलित हैं ।

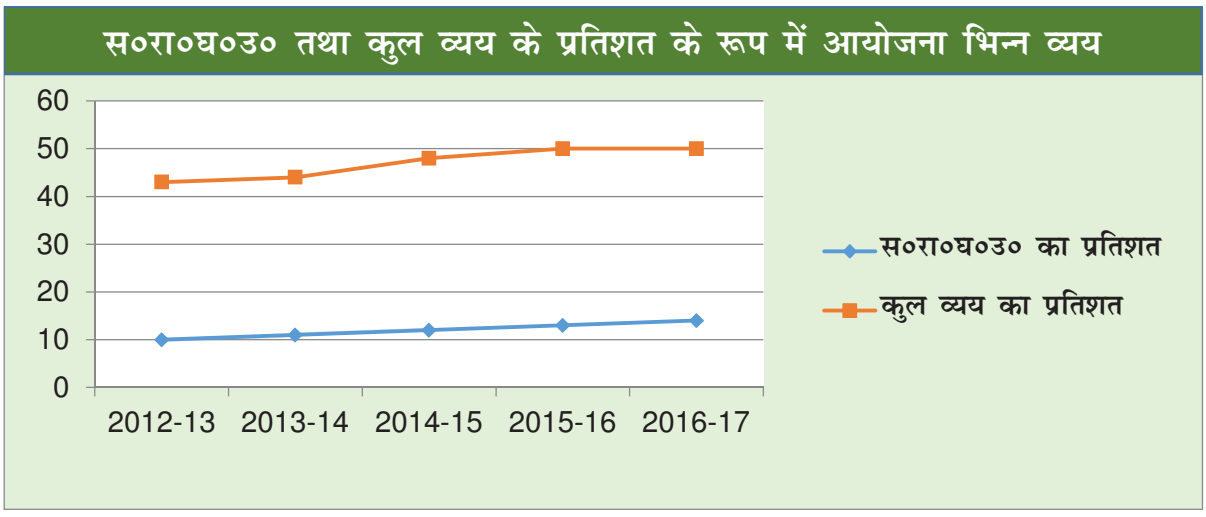

4.4 वचनबद्ध व्यय

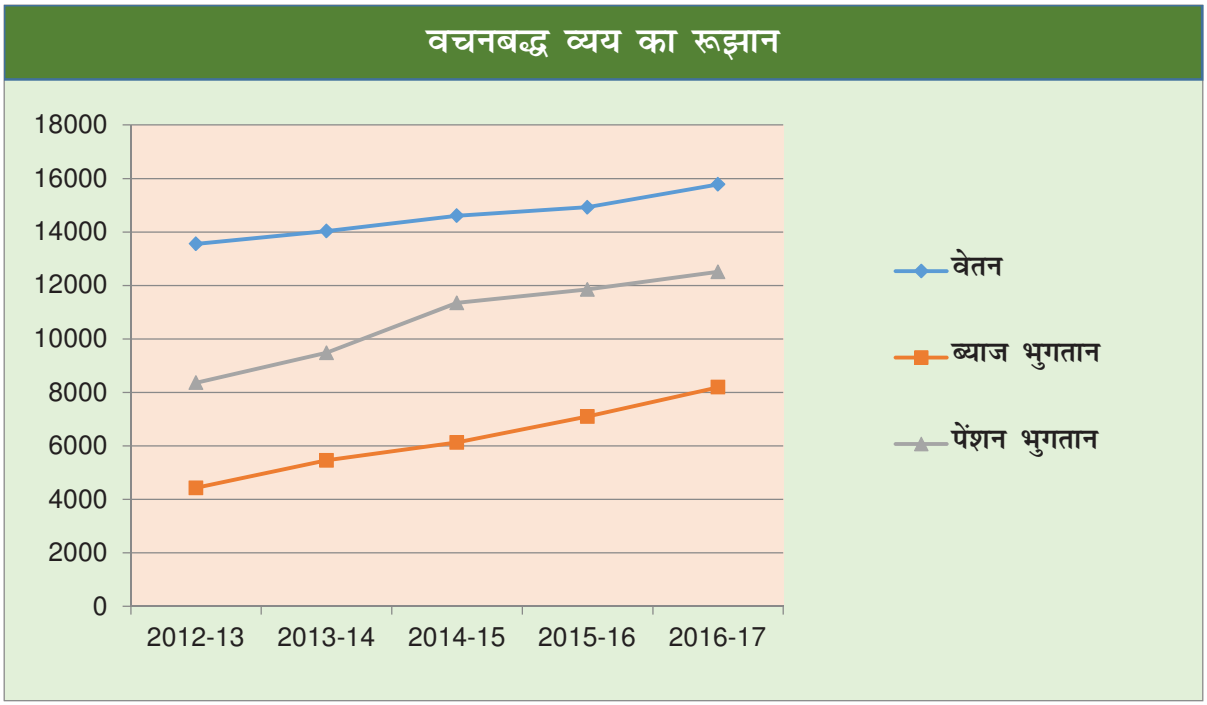

(₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वचनबद्ध व्यय	26,350	28,978	32,081	33,872	36,483
राजस्व व्यय	54,466	62,477	72,570	83,616	94,765
राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	44	42	41	35	35
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	48	46	46	40	38

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है ।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	1,01,037	16,529	20,423	1,17,566	87,327	(-)30,239
	प्रभारित	8,903	355	47	9,258	8,934	(-)324
2.	पूँजीगत						
	दत्तमत	30,107	7,496	8,762	37,603	27,409	(-)10,194
	प्रभारित	--	--	--	--	--	--
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	4,074	143	0	4,267	4,215	(-)52
4.	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	574	82	539	656	114	(-)542
कुल -		**1,44,695**	**24,605**	**29,771**	**16,350**	**1,27,999**	**(-)41,351**

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2012-13	(-)13,315	(-)6,511	(-)13	(-)3,306	(-)23,145
2013-14	(-)20,781	(-)8,223	(-)135	(-)2,341	(-)31,480
2014-15	(-)31,354	(-)10,558	(+)3	(-)2,017	(-)43,926
2015-16	(-)27,491	(-)7,014	(-)38	(-)470	(-)35,013
2016-17	(-)30,563	(-)10,194	(-)52	(-)542	(-)41,351

5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत है :-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

अनुदान	नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	कृषि विभाग	29%	45%	44%	54%	43%
3	भवन निर्माण विभाग	58%	36%	54%	40%	49%
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	28%	26%	35%	47%	35%
9	सहकारिता विभाग	37%	9%	31%	33%	33%
16	पंचायती राज विभाग	4%	12%	3%	17%	39%
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	11%	93%	44%	41%	51%
24	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	22%	25%	31%	25%	39%
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	12%	13%	44%	35%	35%
26	श्रम संसाधन विभाग	10%	11%	53%	56%	39%
29	खान एवं भूतत्व विभाग	26%	23%	27%	22%	35%
33	सामान्य प्रशासन विभाग	25%	21%	29%	37%	35%
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	77%	72%	51%	1%	44%
39	आपदा प्रबंधन विभाग	36%	16%	37%	32%	31%
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	58%	31%	59%	86%	67%
42	ग्रामीण विकास विभाग	19%	42%	32%	33%	46%
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	23%	13%	54%	52%	44%
47	परिवहन विभाग	35%	18%	80%	29%	33%
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	0%	56%	48%	31%	81%
50	लघु जल संसाधन विभाग	34%	59%	55%	47%	42%

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹ 24,655 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 19 प्रतिशत) प्राप्त किया गया जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया । कुछ उदाहरण निम्नवत हैं :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि विभाग	राजस्व	2,698.00	179.00	1,662.00
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	544.00	56.00	467.00
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	620.00	8.00	440.00
		पूँजी	2,560.00	318.00	1,340.00
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	357.00	3.00	225.00
7	निगरानी विभाग	राजस्व	34.00	2.00	29.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	126.00	0.00	82.00
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	535.00	9.00	426.00
		पूँजी	135.00	33.00	48.00
10	उर्जा विभाग	पूँजी	9,018.00	2,127.00	5,814.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1,960.00	412.00	1,450.00
12	वित्त विभाग	राजस्व	821.00	21.00	742.00
		पूँजी	23.00	10.00	21.00
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	7,184.00	202.00	6,467.00
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	2,143.00	20.00	1,066.00
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	7,322.00	779.00	4,750.00
		पूँजी	913.00	207.00	859.00
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	21,477.00	1,403.00	19,043.00
22	गृह विभाग	राजस्व	6,887.00	274.00	6,191.00
		पूँजी	411.00	76.00	375.00
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	240.00	76.00	215.00
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	686.00	5.00	418.00
27	विधि विभाग	राजस्व	820.00	8.00	538.00

28	उच्च न्यायालय	राजस्व	112.00	16.00	108.00
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	19.00	1.00	13.00
32	विधानमंडल	राजस्व	153.00	7.00	136.00
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	532.00	146.00	509.00
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	2,252.00	76.00	1,036.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	राजस्व	420.00	14.00	347.00
		पूँजी	1,335.00	410.00	1,164.00
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	1,381.00	200.00	1,149.00
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	152.00	47.00	141.00
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	598.00	1,206.00	594.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	810.00	9.00	455.00
		पूँजी	25.00	4.00	5.00
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	5,651.00	134.00	5,342.00
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	94.00	7.00	80.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1,628.00	13.00	1,143.00
45	गन्ना उद्योग विभाग	पूँजी	1.00	69.00	1.00
46	पर्यटन विभाग	पूँजी	641.00	43.00	63.00
47	परिवहन विभाग	राजस्व	55.00	9.00	55.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	3,409.00	1,213.00	3,378.00
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	308.00	35.00	239.00
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	4,871.00	1,773.00	4,845.00
		पूँजी	146.00	87.00	18.00

अध्याय VI

परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वित्त लेखे सरकार की परिसम्पत्तियों, जैसे-भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं ।

2016-17 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 15,940 करोड़ रहा । जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 3.73 करोड़ (अर्थात 0.02 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ । वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश में ₹ 5,976 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹ 11.11 करोड़ की कमी हुई ।

31 मार्च 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹ 8,324 करोड़ था तथा जो मार्च 2017 के अंत में बढ़कर कर ₹ 4,793 करोड़ हो गया ।

6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता	लोक लेखे (*)	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता	कुल देयताएँ	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता
2012-13	57,474	20	19,029	7	76,503	27
2013-14	64,262	20	22,677	7	86,939	27
2014-15	74,571	22	24,485	7	99,056	29
2015-16	88,829	23	27,749	7	1,16,578	31
2016-17	1,06,191	24	32,531	7	1,38,722	32

(*) उचन्त तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है ।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2015-16 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹ 22,144 करोड़ (19 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है ।

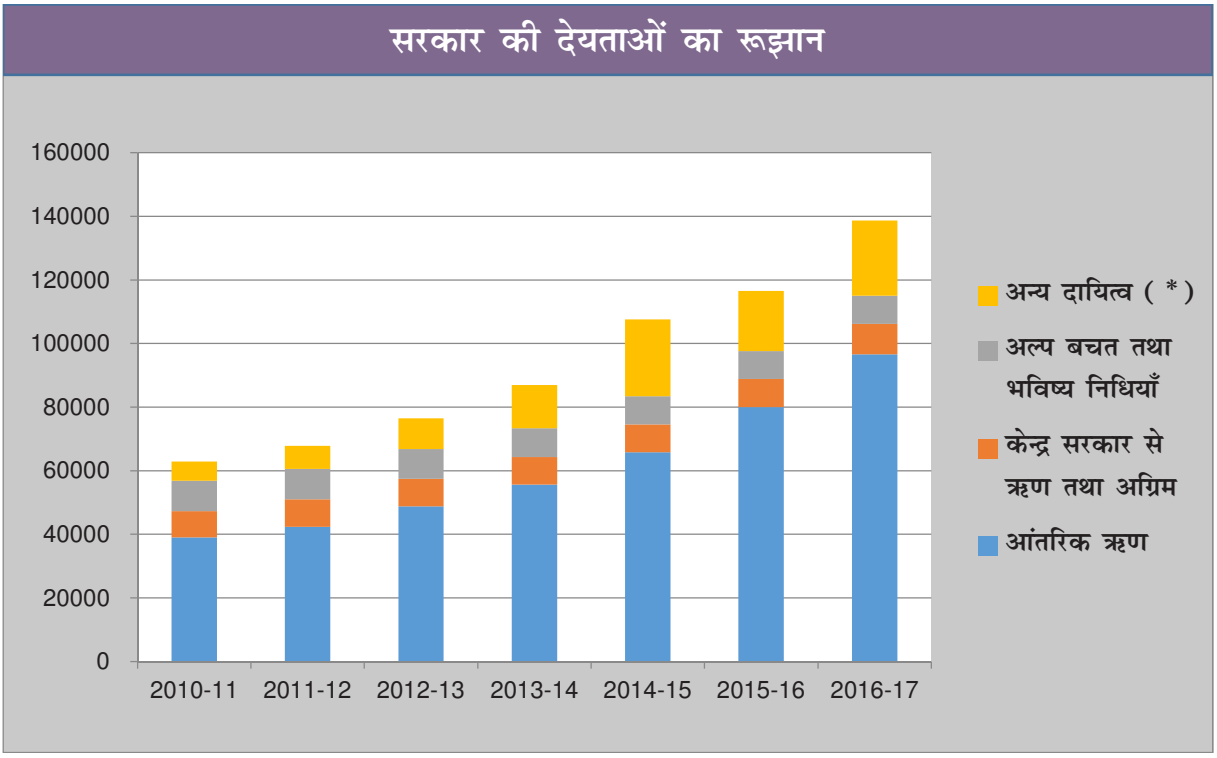

(*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदिष्ट निधियाँ इत्यादि ।

6.3 गारंटियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2012-13	2,046	1,089	112
2013-14	2,587	1,090	112
2014-15	5,315	2,001	148
2015-16	9,397	6,309	229
2016-17	13,053	4,460	178

अध्याय VII

अन्य विषयें

7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है । प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं । इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं । 31 मार्च 2017 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 96,595 करोड़ शेष है ।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2016-17 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 20,972 करोड़ के कुल ऋण तथा अग्रिम में से ₹ 20,127 करोड़ सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ऋण तथा अग्रिम दिए गए । 31 मार्च 2017 के अंत तक मूलधन ₹ 6,384 करोड़ एवं ब्याज ₹ 6,653 करोड़ बकाए के रूप में वसूली योग्य थे । वर्ष 2016-17 के दौरान मात्र ₹ 23 करोड़ कर्ज तथा उधार के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹ 15 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाए कर्ज की वसूली के लिए प्रभावी कदम से सरकार की राजकोषीय स्थिति को मदद करेगी।

7.3. स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदान वर्ष 2012-13 में ₹ 17,454 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 36,209 करोड़ हो गया । वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 12 प्रतिशत (₹ 4,359 करोड़) जिला परिषदों, नगरपालिकाओं/नगर निगमों/परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया ।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायक अनुदान का विवरण निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका/ परिषद	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य*	कुल
2012-13	441	540	2,154	14,319	17,454
2013-14	905	540	2,602	14,888	18,935
2014-15	1,173	659	1,253	19,274	22,359
2015-16	1,174	1,311	2,004	21,937	26,426
2016-17	725	1,700	1,934	31,850	36,209

*मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है ।

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2016 को	1 अप्रैल 2017 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	125	115	(-)10
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार विपत्र)	8,199	13,002	4,803
अन्य रोकड़ शेष	216	186	(-)30
(क) विभागीय शेष	342	342	0
(ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय			
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	2,835	3,418	583
(क) निपेक्ष निधि	2,835	3,418	583
(ख) गारंटी उनमोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियाँ	--	--	--
*** प्राप्त ब्याज**	453	804	357

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है ।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2016-17 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष ऋणात्मक था । इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

7.5 लेखे का मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा ससमय विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। यह कार्य विभागों के संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है । वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय ₹ 1,21,974 करोड़ (राजस्व एवं पूँजी) के विरूद्ध मात्र ₹ 27,981 करोड़ यानि कुल व्यय के 23 प्रतिशत तथा कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,05,585 करोड़ के विरूद्ध ₹ 86,951 करोड़ यानि कुल प्राप्ति के 82 प्रतिशत का ही मिलान किया गया ।

कुछ मुख्य विभागों की सूची निम्नवत है जिनके द्वारा प्राप्तियाँ तथा व्यय दोनों का पूर्णतया मिलान नहीं किया गया अथवा बहुत ही न्यून राशियों का मिलान किया गया :-

क्रम सं०	प्राप्ति शीर्ष	व्यय शीर्ष	विभाग
1	0029	2029	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
2	0039	2039	निबंध, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
3	0040	2040	वाणिज्यकर विभाग
4	0041	2041	परिवहन विभाग
5	0055	2055	गृह (आरक्षी) विभाग
6	0059	2059	भवन निर्माण विभाग
7	0071	2071	वित्त विभाग
8	0202	2202	शिक्षा विभाग
9	0210	2210	स्वास्थ्य विभाग
10	0215	2215	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
11	0216	2216	ग्रामीण विकास विभाग
12	0217	2217	नगर विकास एवं आवास विभाग
13	0235	2235	समाज कल्याण विभाग
14	0401	2401	कृषि विभाग
15	0405	2405	पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग
16	0406	2406	पर्यावरण एवं वन विभाग
17	0515	2515	पंचायती राज विभाग
18	0700	2700	जल संसाधन विभाग
19	0702	2702	लघु जल संसाधन विभाग
20	1054	3054	पथ निर्माण विभाग
21	1456	3456	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

7.6 कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार के लेखे जिन्हें महालेखाकार के कार्यालय में संकलित किया जाता है, मुख्यतः कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों द्वारा समर्पित आरंभिक लेखे पर आधारित होता है। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि कोषागारों के लिए अगामी माह के 5वीं तारीख तथा लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों के लिए 10वीं तारीख है । ससमय लेखे के प्रस्तुत नहीं होने के कारण राज्य सरकार को भेजे गए मासिक लेखे में उस कोषागार को शामिल नहीं किया जाता है । परिणामस्वरूप, लेखे के आँकड़ें माह के वास्तविक व्यय अथवा प्राप्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिससे निर्णय गलत हो सकता है, यदि निर्णय अपूर्ण लेखे के आधार पर लिया गया हो ।

वर्ष के दौरान मासिक लेखों में अपवाद को छोड़कर वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया ।

7.7 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अदृष्टिगत व्यय को पूरा करने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से सेवा मुख्य शीर्षों के नामे करते हुए (अंतिम व्यय हेतु दर्ज) राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत होते हैं । इसके सापेक्ष उन्हें अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों सहित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्रों को, आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के अंदर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुत करने में विलम्ब अथवा लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाना, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के अधीन हुए व्यय के अपारदर्शिता को प्रस्तुत करता है ।

दिनांक 31 मार्च 2017 को लंबित आकस्मिक विपत्रों की विवरणी नीचे दी गई है :-

तालिका-1 : लंबित आकस्मिक विपत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित डी०सी० विपत्रों की संख्या	राशि
2014-15 तक	12,672	2,299.19
2015-16	1,865	1,081.37
2016-17	1,238*	1,396.96
जोड़	**15,775**	**4,750**

* 1,238 आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 690.13 करोड़ की राशि के 957 आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2017 के बाद देय होंगे।

2016-17 में ₹ 1,808.68 करोड़ राशि के 1,383 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए थे जिसमें से केवल मार्च 2017 में ₹ 533.07 करोड़ (2016-17 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से आहरित कुल राशि का 29.47 प्रतिशत) की राशि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से आहरित किये गये थे और इसमें से ₹ 43.52 करोड़ की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया था । मार्च माह में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यतः बजट प्रावधानों को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है ।

7.8 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

विशेष शासनपत्रों से उत्पन्न सरकार के देयताओं के निर्वहन हेतु, समेकित निधि से राशि को स्थानान्तरित कर उसे जमा करने के लिए सरकार व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिए प्राधिकृत है । बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 344 सह पठित वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या एम० 4-12/2013 (भाग-I) - 6487/एफ० दिनांक 21/07/2014 व्यवस्था करता है कि जमा करने वाले प्रशासक प्रत्येक

वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (वह वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई है) के बाद अव्ययित राशि व्यय नहीं की जानी चाहिए तथा शेष को संचित निधि में व्यय में कमी के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष को स्थानान्तरित कर देना चाहिए ।

वर्ष 2016-17 के दौरान 74 कोषागारों द्वारा पी०डी० खातों के संबंध में सूचना दी गई है, जिनमे से 56 कोषागारों में ही पी०डी० लेखा का संधारण किया जाता है एवं शेष 18 कोषागारों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कोई भी पी०डी० खाता नहीं है। किसी भी विभागीय अधिकारी के द्वारा महालेखाकार द्वारा संधारित किए गए लेखों के शेषों का सत्यापन अथवा मिलान नहीं किया गया । 177 पी०डी० लेखों में से 60 अपरिचालित हैं । वर्ष के दौरान एक पी०डी० खाता को बंद किया गया । इसके अलावे, वर्ष के दौरान किसी भी पी०डी० खाते के कोषागार/प्रशासक ने संचित निधि में वापसी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ।

56 राज्य कोषागारों से प्राप्त व्यक्तिगत जमा खाते की विवरणी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

विवरणी	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1 अप्रैल 2016 को	171	4,126.37
वर्ष के दौरान खोले गए	07	0.00
वर्ष के दौरान बन्द किए गए	01	0.00
कुल	177	4,126.37
वर्ष के दौरान प्राप्ति	46	1,780.08
वर्ष के दौरान भुगतान	57	1,532.80
31 मार्च 2017 को	177	4,373.65

7.9 व्यय का आधिक्य

बिहार बजट मैनुअल नियम 113 निर्दिष्ट करता है कि व्यय का अत्यधिक प्रवाह, विशेषत: वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा एवं इससे बचना चाहिए । फिर भी यह देखा गया कि मार्च 2017 में किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक था :-

व्यय का अत्यधिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	जोड़	मार्च 2017 के दौरान	2016-17 के कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2017 में व्यय की प्रतिशतता
1	कृषि विभाग	36.13	287.53	435.85	902.64	1,662.15	529.22	31.84
3	भवन निर्माण विभाग	77.59	384.53	278.89	1,030.73	1,771.74	804.76	45.42
6	निर्वाचन विभाग	17.93	12.72	35.15	74.35	140.15	45.09	32.17
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	8.01	20.16	17.39	36.29	81.85	25.40	31.03
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	0.62	5.11	2.85	1,452.69	1,461.27	1,451.65	99.34
16	पंचायती राज विभाग	69.81	124.35	181.62	6,090.88	6,466.66	3,571.66	55.23
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	12.50	18.35	14.51	1,020.31	1,065.67	354.17	33.23
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	18.83	46.61	53.47	216.51	335.42	176.25	52.55
23	उद्योग विभाग	13.28	278.16	85.37	288.79	665.60	260.07	39.07
24	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	20.67	25.18	20.08	67.36	133.29	44.65	33.50
33	सामान्य प्रशासन विभाग	55.82	68.59	147.64	236.59	508.64	188.98	37.15
35	योजना विकास विभाग	43.80	1,905.03	91.77	(-)36.27	2,004.33	976.41	48.72
42	ग्रामीण विकास विभाग	44.48	865.01	1,475.64	3,442.80	5,827.93	3,322.51	57.01
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	18.95	33.86	243.22	846.43	1,142.46	806.02	70.55
45	गन्ना उद्योग विभाग	3.02	66.42	11.27	102.10	182.81	95.16	52.05
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	11.34	744.30	869.40	1,752.88	3,377.92	1,397.19	41.36
49	जल संसाधन विभाग	514.96	456.53	290.73	1,288.91	2,551.13	961.59	37.69
50	लघु जल संसाधन विभाग	46.00	75.97	54.99	186.73	363.69	140.70	38.69

(स्रोत: भी०एल०सी० आँकड़ा ।)

7.10 उचन्त लेखे शेष

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उचन्त लेखे खातें में शेष ₹ 1,740 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 4,959 करोड़ हो गया ।

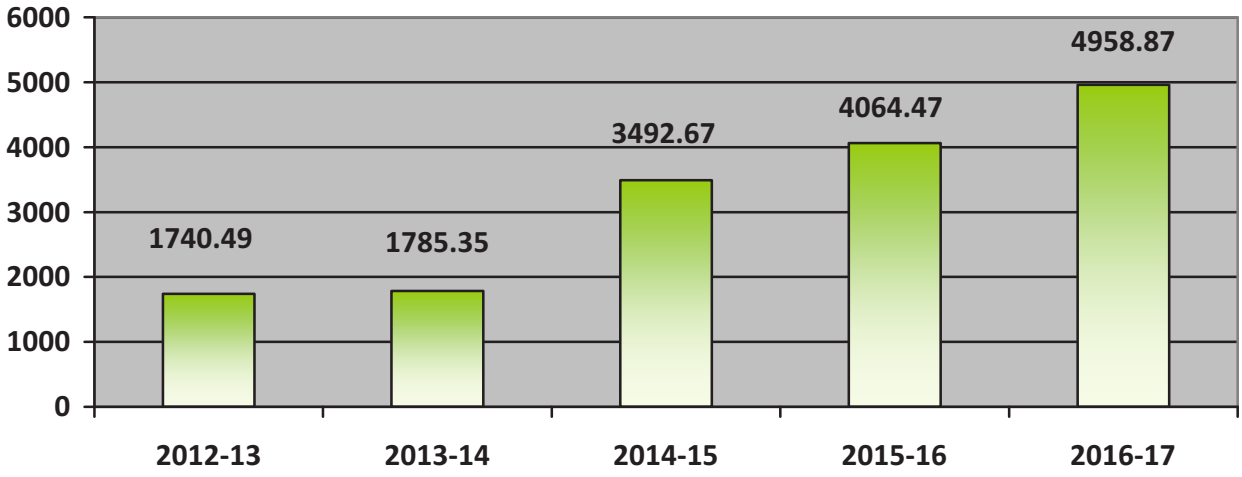

उचन्त लेखे	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त	214.35	235.47	245.63	270.29	296.05
उचन्त लेखा (सिविल)	1,454.05	1,520.53	3,141.06	3,690.31	4,376.04
नकद परिनिर्धारण उचन्त लेखा	32.29	32.29	32.29	32.29	32.29
रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	30.62	270.81	263.83	266.28	265.26
रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	343.10	330.53	340.66	347.52	370.41
विभागीय समायोजन लेखा	104.45	104.45	104.45	104.45	104.45
स्रोत पर कर कटौती (टी०डी०एस०) उचन्त	370.68	702.41	629.29	640.99	480.28
सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचन्त लेखा	66.11	66.11	66.11	66.11	66.11

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in